न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2013 पुनरीक्षण

संतोष कुमार पुत्र श्री शंकषण प्रसाद निवासी– गढ़ा, रघवर, तहसील हनुमना, जिला रीवा

---- आवेदक

बनाम

1. अवधेश प्रतापसिंह पुत्र श्री गजाधरसिंह पटेल
2. भैया पुत्र गजाधर पटेल रामसहोदर पुत्र गजाधर पटेल
3. रामसहोदर पुत्र गजाधर पटेल
4. राजभान पुत्र गजाधर पटैल
5. विजय शंकर पुत्र रामकरन पटेल
   निवासीगण– ग्राम अटरिया, तहसील हनुमना जिला रीवा,
6. मु0 गुठली बेवा रामसेवक (मृत)
7. राजमडी पुत्र हरविलस कुमी, राशि समीसा अटरिया, तह हनुमना,
   निवासी– समीसा अटरिया तहसील हनुमना जिला रीवा

--- अनावेदकगंण

पुनरावलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 51 (2) म0प्र0 भू–राजस्वं सहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 3/6/2013 पातिर द्वारा श्री अशोक शिवहरे जी सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 285/3/08 व उनवान सतोष कुमार बनाम अवधेश आदि ....

माननीय महोदय,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 3472–तीन/2013 पुनरावलोकन जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि: आदि के हस्ताक्षर
18/07/18	आवेदक के अभिभाषक को पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर सुना गया। यह पुनरावलोकन आवेदन सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 285–तीन/2008 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3–6–2013 पर से प्रस्तुत किया गया है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव पुनरावलोकन आवेदन में दर्शाए गए आधारों पर विचार करने पर स्थिति यह है कि आवेदकगण की ओर से पुनरावलोकन हेतु जो आधार बताये गये है उन पर विस्तृत विवेचना करते हुये तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर ने **Speaking** आदेश दिनांक 3–6–2013 पारित किया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था दी गई हे :– 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या, 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके हैं कि राजस्व मण्डल व्दारा आदेश दिनांक 3–6–2013 पारित करते समय ऐसी कौनसी प्रत्यक्ष दर्शी भूल की गई है अथवा उनके व्दारा ऐसा कौनसा अभिलेख शोध कर लिया गया है, जो तत्समय आदेश पारित करने के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। पुनरावलोकन आवेदन के आधार समाधानकारक न होने से राजस्व मण्डल व्दारा पारित आदेश दिनांक 3–6–2013 यथावत रखते हुये पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया है। सदस्य	